

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- लखनऊ से बलिया (बाया आजमगढ़) पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे० आरक्षित एवं 8.4165 हे० संरक्षित अर्थात् कुल 17.5714 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 27942 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-८बी/यू०पी०/०६/०१/२०१८/एफ०सी०/२९७, दिनांक-३०.०१.२०१८

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना/अभिलेख उप मुख्य, कार्यपालक अधिकारी एवं अधिकृत अधिकारी, यूपीडा, गोमती नगर, लखनऊ ने अपने पत्रांक-३८१९/यूपीडा/६१९, दिनांक-०९.०२.२०१८ द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार सूचना/अभिलेख की दो प्रतियां संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

(आर०आर० जमुआर)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- २३६९/११-सी-FP/UP/Road/28804/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, फैजाबाद, आजमगढ़ एवं वाराणसी।
3. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, लखनऊ, बाराबंकी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, मऊ एवं गाजीपुर।
4. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (यूपीडा), उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(आर०आर० जमुआर)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

०/८